



आदिवासी प्रगतिशील संगठन, राजस्थान, जयपुर

संरक्षक

श्री याद राम मीणा
पूर्व मुख्य न्यायाधिपति,
गुजरात उच्च न्यायालय
मो. 9829014541

रजि. नं. 605 दिनांक : 13/10/2008
प्रधान कार्यालय : ए-43, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर-302015
फोन : 0141-2593071, मो. 9414336860

संरक्षक
रामखिलाड़ी मीणा
से.नि. IAS
मो. 9772205565

अध्यक्ष

रामनारायण मीणा
से.नि. D.I.G.
केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो
मो. 9414336860

कार्यकारी अध्यक्ष

आर.पी. मीणा
डी.जी.एम. वित्त, BSNL
मो. 9414000922

उपाध्यक्ष

वृन्द मीणा
से.नि. महाप्रबंधक, ONGC
मो. 9413901844

लाल चन्द माच्या
Ex En BSNL (Retd.)
मो. 9413394121

रामस्वरूप मीना (समलेटी)
से.नि. आयुक्त कस्टम
मो. 8947997006

मोहनलाल मीणा
से.नि. आयुक्त पी.एफ.
मो. 9413341552

महासचिव

महावीर प्रसाद मीणा
से.नि. आयुक्त, कस्टम
मो. 9414888131

संयुक्त महासचिव

होहन मीणा
से.नि., अधि. अभि. PHED
मो. 9414335705

कोषाध्यक्ष एवं प्रचार मंत्री

रामखिलाड़ी मीणा
से.नि. A.En. PWD
मो. 9460388850

सह कोषाध्यक्ष

भरतलाल मीणा
लेखाधिकारी
मो. 9460149516

संगठन मंत्री

अशोक कुमार मीणा
प्रबंधक, SBI, प्रताप नगर
मो. 9414047988

विधि मंत्री

मुकेश कुमार मीणा
एडवोकेट, राज. उच्च न्यायालय
मो. 9414050808

प्रेस सचिव

कैलाश चन्द मीना
प्लॉट नं. 1, आनन्द विहार विस्तार,
मो. 9414331129

क्रमांक

सीमान आयुक्त महोदय
राज. आवासन मण्डल
ज्योति नगर, जयपुर
महोदय

विषय:- आदिवासी (मीणा) समाज के लिए सांघुदायिक मजदूरी हेतु
श्री आवासन करवाने कायदा

विषयान्तर्गत निवेदन है कि जगतपुरा, जयपुर में आदिवासी
मीणा समाज बहुसंख्यक जाति में रहता है। जिसे सामाजिक,
धार्मिक आयोजन करने हेतु सांघुदायिक मजदूरी की आवश्यकता
महसूस की जाती रही है। जिसके लिए हमेशा फिरोजी भी जगह
लेनी पड़ती है। जिसे आदिवासी समाज बहन करने में
सतर्क नहीं हो पाता।

जैतकि सरकार द्वारा अन्य समाजों को सांघुदायिक मजदूरी
करवाने हेतु कई जगह श्री आवासन की हुई है।
अतः आपसे निवेदन है कि समाज की आवश्यकता को
देखते हुए आदिवासी प्रगतिशील संगठन, जयपुर के

सांघुदायिक मजदूरी के लिए इंट्रा जॉब्ली नगर (जगतपुरा)
सेक्टर तीस में Religious की जगह में हे 5000 खना. की
जमीन टोकन मनी दर पर आवंटन करने की शुरुवात करें।
आपकी महसूस हुआ होगी।
आपका सहित।

राजस्थान - 341101
21-1-2009

प्रार्थी
R.N.
(R. N. Narain)
आदिवासी प्रगतिशील संगठन
राजस्थान, जयपुर

Handwritten notes and signatures: CEM/11/12/2008, CEM, 3/2, 08-19-21, 2.2.2.9, AHO, 4/2, 03/02/22

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1-	संस्था/संगठन का नाम	आदिवासी प्रगतिशील संगठन, जयपुर
2-	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	श्री राज नारायण मीना
3-	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी.	A-43, जे.पी. कॉलोनी, शेक फाउंडेशन जयपुर - 308017 Mob.No. 9414336860
4-	भूमि आवंटन का उद्देश्य	सांस्कृतिक मंदिर हेतु
5-	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	इन्दा गाँव) नगर, शेक 22-3,
6-	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	9000 वर्ग मी.
7-	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	523.75 Sqm. Rs 84.25 Lacs
8-	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	-
9-	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न है
	ii- बाईलॉज/रेग्युलेशन	संलग्न है
	iii- गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	संलग्न है
	iv- संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है
	v- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न है
	vi- रु. 5900/- (पांच हजार नौ सौ रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	डि.डी. नं. 991700 दि. 2.2.22 रु. 5900/-

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 2.2.22

स्थान : जयपुर

नाम व पद - श्री राज नारायण मीना, अध्यक्ष


अध्यक्ष

आदिवासी प्रगतिशील संगठन
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 605 जयपुर/2008-09

यह प्रमाणित किया जाता है कि आदिवासी प्रजाति शील

संगठन जयपुर जिला-जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 13 माह अक्टूबर सन् दो हजार 2008

को जयपुर में किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417

R.D.

अध्यक्ष

राजस्थान प्रजातिशील संगठन
जयपुर